



546/1

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 11620 /28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक 08 मार्च 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-चन्दौली।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	303802010025884	IFSC Code UBIN0530387	193.679

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० 18 कैलाशपुरी चौहान बस्ती में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर में प्रिन्स पाण्डेय से सिरवारी तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.516	100%
2	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० 14 परशुराम में श्री सिरोही शर्मा के भवन से श्री लल्लन के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का कार्य।	4.297	100%
3	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० 15 लाट नं० 02 भाग-02 में श्री नत्थू यादव के भवन से श्री जोगेन्द्र यादव तक सड़क इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	17.492	100%
4	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० 18 कैलाशपुरी में काली मन्दिर रोड से श्री प्यारे लाल अग्रहरी के मकान तक कलर डाईग्लोनल ईट व नाली का कार्य।	8.078	100%
5	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० 09 मुगलचक में श्री विनोद शर्मा के मकान से श्री लालव्रत चौहान के भवन होते हुए डीह बाबा के मन्दिर तक सड़क इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	22.136	100%



546/2

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
6	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	चन्धासी चौहान बस्ती में ऋषि नारायण के मकान से सत्यनारायण के मकान तक का कार्य।	15.605	100%
7	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	विरेंद्र सिंह के मकान से बुल्लू सिंह के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.167	100%
8	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	भारतीय शिक्षा सदन स्कूल से सुश्रुत नर्सिंग होम तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	6.219	100%
9	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	शिक्षा सदन स्कूल से राजेश गुप्ता तक नाली व सड़क निर्माण का कार्य।	8.265	100%
10	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	राजू के मकान से संजय के मकान तक नाली व सड़क निर्माण कार्य।	4.244	100%
11	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० 9 मुगलचक, मानसनगर से शर्मा व सम्बोधन गौड़ तक मिट्टी व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	4.440	100%
12	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० 7 पथरा भाग-2 में बाम्बे प्रजापति से गोस्वामी से चौहान से होते हुए बचाऊ सिंह मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	17.465	100%
13	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० चन्दौली	वार्ड नं० किदवई नगर में श्री साधू साव के घर से श्री राजेन्द्र छेना वाले तक इण्टरलाकिंग मरम्मत आ०सी००सी० मरम्मत व मदरसा के पास नाली निर्माण कार्य।	6.344	100%
14	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० सैयदराजा	वार्ड नं० 07 नेहरू नगर में राम जानकी मन्दिर से श्री जुम्नन व श्री शिवधारी मौर्या के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.628	100%
15	चन्दौली	मु०अ०-37	न०प० सैयदराजा	वार्ड नं० 16 अलीनगर में शहिद से आर०पी० पाल व लालजी यादव के मकान से इजहार के मकान तक इण्टरलाकिंग व ब्रिक वाला का कार्य।	10.934	100%
16	चन्दौली	मु०अ०-37	न०पा०प० पं०दीन दयाल उपाध्याय नगर	वार्ड नं० 16 अली नगर में जावेद से लंगा रोड तक इण्टरलाकिंग व ब्रिक वाल का कार्य।	8.808	100%
17	चन्दौली	मु०अ०-37	न०पा०प० पं०दीन दयाल उपाध्याय नगर	वार्ड नं० 17 ईस्टर्न बाजार में एम०एम० खान से अब्दुल हसन, मोईन चल से रेलवे बाउन्ड्री, नसीम नेता से करीमुल्ला व जाहिर अली से अब्दुल मजीर तक सी०सी० रोड व नाल का निर्माण कार्य।	5.055	100%
18	चन्दौली	म०ब०-83	न०पा०प० दीनदयाल उपाध्याय नगर	वार्ड नं० 22 पटेल नगर में श्री प्रमोद आग्रवाल के भवन से श्री महेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	6.984	100%



546/3

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
19	चन्दौली	म०ब०-83	न०पा०प० दीनदयाल उपाध्याय नगर	वार्ड नं० 14 में मुन्ना सिंह के घर से दीनानाथ शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.783	100%
20	चन्दौली	म०ब०-83	न०पा०प० दीनदयाल उपाध्याय नगर	वार्ड नं० 01 मुगलसराय में लालबाबू के मकान से बबलू आटा चक्की आरसीसी हूम पाईप तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.941	100%
21	चन्दौली	म०ब०-83	न०पा०प० दीनदयाल उपाध्याय नगर	वार्ड नं० 04 गिधौली में पन्ना सोनकर के घर से राकेश पटेल व उमा शर्मा से राजेन्द्र प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	22.278	100%
	योग				<b>193.679</b>	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाये या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

